न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 40/2024

श्री जल्किफल अहमद निवासी मुबारक मंजिल, पांच बत्ती, कालीपलटन रोड, टोंक जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी, टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 03.09.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी, टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. मेरी माताजी स्व. सा. श्रीमति मजीदुन्निसा पुत्री स्व. सा. श्री ईदरीस अली खान को जरिए पी.पी.ओ. सं. 802156 खानदानी पेंशन भत्ता मिलता था जिसके शिजरे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करें।
2. मेरे पिताजी स्व. सा. श्री सईद अहमद खान पुत्र श्री स्व. सा. मुबारक अली खान को जरिए पी.पी.ओ. सं. 802230 खानदानी पेंशन भत्ता मिलता था जिसके शिजरे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी, टोंक को पत्र क्रमांक 1087 दिनांक 05.08.2024 व 1117 दिनांक 13.08.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी, टोंक ने पत्र क्रमांक 19 दिनांक 20.08.2024 से जवाब प्रेषित कर जवाब के साथ अपीलांट को पत्र क्रमांक 13 दिनांक 14.08.2024 से सूचना के संबंध में सूचित किये जाने वाले पत्र की प्रति संलग्न की है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी, टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक